31/08/21 पत्रावली आज पेश हुई दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। वकील उदायी जवाब हेतु अवसर चाहते हैं अवसर दिया जाता है पत्रावली दिनांक- 13/9/21 को पेश हो।

प्रमाण

सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी

27/11/21 पत्रावली आज उच्चतम गवाह के साथ अधिनियम की धारा 202 पेश हुई। दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। रीकार्ड खातेदार के विरुद्ध इकाम दिया जाता न्यायालय उचित नहीं। सलमती के लिहाजा धारा 202 RTA अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

प्रमाण

सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.16 11:34:41 IST
Reason: SelfAttested